न्यायालय तहसीलदार लवाण जिला दौसा (राज.)

सरकार बनाम हनुमान पुत्र रामधन जाति गुर्जर नि.नांगलगोविंद

मिसल न. 16/2023 निर्णय दिनांक-11.09.2023

आज पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नांगल गोविंद ने रिपोर्ट राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत इस आशय की न्यायालय मे प्रस्तुत कि की अतिक्रमी हनुमान पुत्र रामधन जाति गुर्जर निवासी नांगल गोविंद तहसील लवाण ने ग्राम नांगल गोविंद के आराजी खसरा न.333 किस्म गैर मुमकिन रास्ता (सिवायचक) कुल रकबा 1.40 है० भूमि पर संवत 2080 फसल वर्ष खरीफ मे से रकबा 0.03 है० पर बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण किया है । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । अतिक्रमी की तरफ से अतिक्रमण नहीं करने बावत कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया । जिससे अतिक्रमी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है ।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन एवं मनन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचा की अतिक्रमी का प्रश्नगत राजकीय भूमि पर कोई टाइटल अथवा अधिकार सिद्ध नहीं होता है, तथा वह एक अतिचारी की हैसियत रखता है । अतः उसे उक्त राजकीय भूमि पर से भौतिक रूप से बेदखल किया जाना अत्यंत आवश्यक है ।

अतः अतिक्रमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की उपधारा (1)(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अतिक्रमण शुदा रकबे पर बाजरे की काश्त से भौतिक रूप से बेदखल किया जाने व उस पर लगान 0.27 रु. का 50 गुना 14 रु. की शास्ति आरोपित की जाती है।

पत्रावली मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार कार्यालय हाजा को भिजवाई जावे एवं शास्ति वसूली एवं बेदखली,फसल नीलामी हेतु भू.अ.निरीक्षक हिंगोटिया एवं पटवारी हल्का पटवार मण्डल नांगल गोविंद को लिखा जावे । निर्णय खुले न्यायालय मे आज दिनांक 11.09.2023 को सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील लेख भण्डार हो ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dharm Singh Meena
Date: 2023.10.03 16:51:56 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार, लवाण

(रा[illegible]मोहन)
तहसीलदार लवाण
जि. दौसा (राज.)
जिला दौसा(राज.)